

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 451 / 2019-20



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मनसिद तोपनो

- विक्रेता

राम सहाय मुण्डा

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
06.07.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक मनसिद तोपनो पिता स्व0 पियुस तोपनो ग्राम-जोजोटोली, कदमा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी ने राम सहाय मुण्डा पिता मसिदास मुण्डा ग्राम-कदमा, जोजोटोली, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="252 734 1391 922"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">कदमा</td> <td rowspan="3">84</td> <td rowspan="3">29</td> <td>697</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>698</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0686831371 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 502 दिनांक 01.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम रखाल मुण्डा वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार जगना मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का 102.29 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.71 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 66181.00(छयासठ हजार एक सौ ऐकासी)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.61 कड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मनसिद तोपनो पिता स्व0 पियुस तोपनो को राम सहाय मुण्डा पिता मसिदास मुण्डा के साथ ग्राम कदमा के खाता सं0 29 खेसरा संख्या 697,698 का कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 66181.00(छयासठ हजार एक सौ ऐकासी)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> 06/07/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> 06/07/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	कदमा	84	29	697	0.05	698	0.05		0.10	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)												
कदमा	84	29	697	0.05												
			698	0.05												
				0.10												